

उत्तराखण्ड शासन  
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01  
संख्या:- ४४५ /XXX-1-2025-01(जांच) / 2025  
देहरादून: दिनांक ०३ जून, 2025

-आदेश:-

जनपद हरिद्वार के ग्राम सराय में नगर निगम हरिद्वार द्वारा क्रय की गई 2.3070 हैक्टेयर भूमि में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच हेतु श्री रणवीर सिंह चौहान (IAS), सचिव गन्ना चीनी विभाग उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 29-05-2025 में श्री वरुण चौधरी (IAS), तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार, हाल-अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपने पदीय दायित्वों की अनदेखी करने, निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने, निगम के हितों की रक्षा नहीं किये जाने तथा नियमों का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाया गया है, जिसके दृष्टिगत यह स्थापित होता है कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या इतने गम्भीर हैं, कि उनके स्थापित हो जाने के फलस्वरूप, उन्हें अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में उल्लिखित वृहद दण्ड दिया जा सकता है।

अतः अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3(1)(a) में प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री वरुण चौधरी (IAS) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री वरुण चौधरी (IAS) को निलम्बन अवधि के दौरान अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-4 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3— श्री वरुण चौधरी (IAS) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र निर्गत किये जाने एवं जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

4— श्री वरुण चौधरी (IAS) निलम्बन अवधि में सचिव-कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश बगौली)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. श्री वरुण चौधरी (IAS), अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, इरला चैक (लेखा-05) अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. इरला चैक(लेखा-05) अनुभाग/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-03।
9. गार्ड फाईल।

  
(शैलेश बगौली)  
सचिव